"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2012—आषाढ़ 8, शक 1934

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2012

क्रमांक एफ 1-1/2012/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित जिलों के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन, 2012 हेतु मतदान की तिथि मंगलवार दिनांक 19 जून, 2012 को केवल निर्वाचन क्षेत्रों के शासकीय कार्यालयों में सामान्य अवकाश घोषित करता है :—

क्र.	जिला	नगरीय निकाय (निर्वाचन क्षेत्र) का नाम
1.	जांजगीर-चांपा	नगर पंचायत खरौद के रिक्त वार्ड क्रमांक -8
		नगर पंचायत चन्द्रपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-5
2.	दुर्ग	नगर पालिका परिषद्, भिलाई, चरौदा के रिक्त वार्ड क्रमांक-13

... राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3.	बालोद	नगर पंचायत गुण्डरदेही के रिक्त वार्ड क्रमांक-8
		नगर पंचायत चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक-1, 14, 15
4.	धमतरी	नगर पंचायत मगरलोड के रिक्त वार्ड क्रमांक-6

2. उपरोक्त अवकाश मतदान की स्थिति में ही अनुज्ञेय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्रमांक 592/432/अव./2012/1-8/स्था.—श्री के. डी. कुंजाम, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 01-06-2012 से 08-06-2012 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09 एवं 10-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुंजाम, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुंजाम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक 618/415/अव./2012/1-8/स्था.—श्री ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 05-06-2012 से 06-06-2012 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 03 एवं 04-06-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिद्दिकी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक 620/319/अव./2012/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 05-06-2012 से 15-06-2012 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 03, 04, 16 एवं 17-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दोहरे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक 622/439/अव./2012/1-8/स्था.—श्री संजीव बक्शी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 18-06-2012 से 07-07-2012 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17-06-2012 एवं 08-07-2012 सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बक्शी, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ

(1)	(2)	(3)	(4)
	5.	696	1.82
	6.	709	0.07
	7.	758	0.40
		योग रकबा	213.52

उपरोक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना का विकास, संधारण एवं भू-खंडों का आवंटन छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नियमानुसार किया जाएगा.

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में शासन द्वारा समय-समय पर घोषित सभी प्रावधान यथावत् लागू होंगे. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-06-2010 की कंडिका 14(1) के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित करता है :—

14(1) राज्य कैम्पा की क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार होगी :—

(i)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	सदस्य
(iii)	मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)	सदस्य
(iv)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	सदस्य
(v)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के वित्त नियोजक/वित्त सलाहकार	सदस्य
(vi)	गैर सरकारी संस्थाओं के दो नामांकित सदस्य जिन्हें राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित किया जावेगा एवं जिन्हें पुनर्नामांकित किया जा सकेगा.	सदस्य
(vii)	नोडल अधिकारी (मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध)	सदस्य
(viii)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)	सदस्य सचिव

No. F 5-23/2004/10-2.— The State Government hereby substitutes the following paragraphs in place of para 14(1) of the notification of even No. dated 23-06-2010 :—

(i)	Principal Chief Conservator of Forests	Chairman
(ii)	Chief Wild Life Warden	Member
(iii)	Managing Director, Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sangh	Member
(iv)	Chief Conservator of Forest (Development/Planning)	Member
(v)	Financial Controller/Financial Adviser in Principal Chief Conservator of Forests	Member
(vi)	Two eminent NGO's to be Nominated by the State Government for a period of 2 years at a time, who shall be eligible for re-nomination.	Member
(vii)	Nodal Officer (Chief Conservator of Forests, Land Management)	Member
(viii)	Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA)	Member Secretary

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2012

क्रमांक/1388/3531/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की सूचना क्रमांक 192/3531/2011/32 दिनांक 25-01-2012 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पेण्ड्री प.ह.नं. 23	578/1, 596	10.296 हे. (25.44 एकड़)	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
2.	बजरंगपुर नवागांव प.ह.नं. 21	291/2	2.023 हे. (5.00 एकड़)	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण देव संस्कृति विश्वविद्यालय राजनांदगांव में स्थापना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्रमांक एफ 7-24/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 (क) (1) के अंतर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-07-2011 द्वारा बलौदा बाजार विकास योजना हेतु गठित समिति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

अधिनियम की धारा-17 (क) (1) की उपधारा	पद का नाम	संस्था/पता
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत बलौदा बाजार
(ज)	4 प्रतिनिधि	जिला अध्यक्ष जिला बलौदाबाजार
	5 प्रतिनिधि	पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.